रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112024-258918
CG-DL-E-26112024-258918

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4668] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2024/ अग्रहायण 4, 1946
No. 4668] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2024/ AGRHAYANA 4, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2024

का.आ. 5058(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा जिप्सम आधारित भवन निर्माण सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: :-

1. (1) इस आदेश को जिप्सम आधारित भवन निर्माण सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. जिप्सम आधारित भवन निर्माण सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के, पैराग्राफ 2 में, तीसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:-

"बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी संगत सामानों या वस्तुओं के लिए इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से पहले ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता या विनिर्माता जिसने प्रमाणन के लिए ब्यूरो को आवेदन किया है अथवा आयातक द्वारा घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित सामानों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा तथा ऐसे विनिर्माता या आयातक को ऐसे घोषित स्टॉक को जिप्सम आधारित भवन निर्माण सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 की अधिसूचना की तारीख से छह महीने तक बेचने या प्रदर्शित करने या बेचने का प्रस्ताव करने की

अनुमति होगी, जो इस शर्त के अध्यधीन है कि ऐसे आयातक या विनिर्माता ने केन्द्र सरकार के समक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित इस आशय की घोषणा की हो।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी जिप्सम आधारित भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन से प्रति वर्ष आयातित आवश्यक विशिष्ट आकार के दो सौ की संख्या तक सामानों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जो इस शर्त के अध्यधीन है कि ऐसे आयातित सामानों और वस्तुओं की वाणिज्यिक बिक्री नहीं की जाएगी और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जाएगा तथा विनिर्माता ऐसे सामानों या वस्तुओं का वित्त वर्षवार रिकार्ड रखेंगे और उसकी अपने लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रति केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।"

[फा. सं. पी-31032/13/2023-सीमेंट अनुभाग)]

संजीव, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ii, खंड 3, उप-खंड (ii) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का .आ. 1153 (अ) दिनांक 7 मार्च, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)
ORDER

New Delhi, the 15th November, 2024

S.O. 5058(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Gypsum based Building Materials (Quality Control) Order, 2024, namely:-

1. (1) This Order may be called the Gypsum based Building Materials (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Gypsum based Building Materials (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 2, after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely: -

''Provided further that nothing in this order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of commencement of this order by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification or by the importer for the relevant goods and articles and such manufacturer or importer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to six months from the date of notification of the Gypsum based Building Materials (Quality Control) Amendment Order, 2024, subject to the condition that such manufacturer or importer shall make a declaration to this effect certified by a Chartered Accountant to the Central Government.

Provided also that nothing in this order shall apply for two hundred pieces of required specific size of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of Gypsum based Building Materials per year subject to the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as scrap, and also the manufacturer shall maintain financial year-wise records of such goods or articles and furnish them to the Central Government in its letter head signed by its authorised signatory.''.

[F. No. P- 31032 /13/2023-Cement Section)]

SANJIV, Jt. Secy.

Note- The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), vide number S.O. 1153(E), dated the 7 March, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA